

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 18/6/26

विषय:- ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 1,41,98,164/- (एक करोड़ इकतालीस लाख अठानवे हजार एक सौ चौसठ रूपय) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 1,41,98,164/- (एक करोड़ इकतालीस लाख अठानवे हजार एक सौ चौसठ रूपय) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्र.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना का पत्रांक/दिनांक	योजना/कार्य का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01.	भवन प्रमंडल, औरंगाबाद	684/ 20.04.26	औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा में प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य	3556556 / 10.01.25	12,99,538/- (बारह लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ अड़तीस रूपये)
02.	भवन प्रमंडल, पूर्णिया	770/ 05.05.26	प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन अमौर, बैसा, बायसी, धमदाहा, बनमंखी, रूपौली, पूर्णिया पूर्व एवं के० नगर के निर्माण कार्य	3556556 / 10.01.25	79,67,403/- (उनासी लाख सड़सठ हजार चार सौ तीन रूपये)
03.	भवन प्रमंडल, अररिया	864/ 06.05.26	अररिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन कुर्साकांटा, फॉरबीसगंज एवं नरपतगंज के निर्माण कार्य	3556556 / 10.01.25	23,31,223/- (तेईस लाख इकतीस हजार दो सौ तेईस रूपये)
04.	भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	2421/ 28.04.26	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन बोचहॉ, सरैया, औराई, कौंटी एवं सकरा के निर्माण कार्य	3556556 / 10.01.25	26,00,000/- (छब्बीस लाख रूपये)
कुल					₹ 1,41,98,164/-

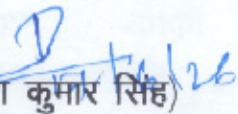
(एक करोड़ इकतालीस लाख अठानवे हजार एक सौ चौसठ रूपय)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पुंजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0117 प्रखण्ड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) विपत्र कोड-03.4059010510117 के विषय शीर्ष-53-मुख्य



निर्माण कार्य -0117.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।

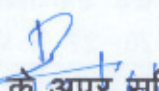
3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।


(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 5641 61

पटना, दिनांक:- 18/6/26

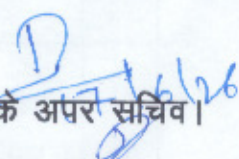
प्रतिलिपि:—सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 5641 61

पटना, दिनांक:- 18/6/26

प्रतिलिपि:—सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/निदेशक अनुश्रवण/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, संबंधित भवन अंचल/कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमंडल/सी.एफ.एम.एस. एप्रूवर, भवन निर्माण विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को **विभागीय वेबसाइट** पर अपलोड एवं सभी संबंधित को **ई-मेल** करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।